

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 668 सन 2019

अनवान :-

1. विकास कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विजयपाल पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र डूगरराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजाराम 3 बुधराम 4 सत्यवीर पि० लादुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सरबतीदेवी 6 आशादेवी 7 धन्नादेवी पुत्रीयान लादुराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. इन्दुबाला पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. पुनम पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. नितु पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 379/365 के खसरा न० 16/3 की 1.6690हैक खसरा न० 18/2 की 4.7550हैक खसरा न० 587 की 7.8030हैक खसरा न० 777 की 7.2340हैक खसरा न० 852/5.6270हैक खसरा न० 860/1.0620हैक कुल 28.1500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा डूगरराम पुत्र लेखू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा डूगरराम पुत्र लेखू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा डूगरराम पुत्र लेखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 यहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता डुगरराम पुत्र लेखू के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 379/365 के खसरा न0 16/3 की 1.6690हैक खसरा न0 18/2 की 4.7550हैक खसरा न0 587 की 7.8030हैक खसरा न0 777 की 7.2340हैक खसरा न0 852/5.6270हैक खसरा न0 860/1.0620हैक कुल 28.1500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम पुत्र लेखू के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा डुगरराम पुत्र लेखू के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा डुगरराम पुत्र लेखू के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने/माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री /पत्नि है प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

  
उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
बोहर (मुजफ्फरगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 379/365 के खसरा नं 10/3 की 1.0090हैव खसरा नं 10/2 की 4.7550हैव खसरा नं 587 की 7.8030हैव खसरा नं 777 की 7.2340हैव खसरा नं 852/5.0270हैव खसरा नं 860/1.0020हैव कुल 28.1500हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज है।


जमाबन्दी सन्वत् 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध के अनुसार वाद भूमि डुगरराम पुत्र लेखु के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा डुगरराम पुत्र लेखु के नाम से दर्ज है वादी के दादा डुगरराम पुत्र लेखु के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकवाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 379/365 की कुल 28.1500हैव भूमि में सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 बहिब 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोशित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

- 1 विकास कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 विजयपाल पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

- 1 लादुराम पुत्र झूगरराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 राजाराम 3 बुधराम 4 सत्यवीर पि० लादुराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 5 सरबतीदेवी 6 आशादेवी 7 धन्नादेवी पुत्रीयान लादुराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 8 इन्दुबाला पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9 पुनम पुत्री राजाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10 नितु पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 668 सन 2019 निर्णय दिनांक- 22/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 379/365 की कुल 28.1500 हेक्ठर भूमि में संयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 बहिब 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोशित किया जाता है है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर ( हनुमानगढ )